राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) कोलायत जिला बीकानेर

दिनांक :– 26 मई 2025

क्रमांक :– तको/राजस्व/183 बी/25/796

1. भोमाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

बनाम

1. गुरचरणसिंह व नरंगसिंह पुत्रगण करतारसिंह जाति जटसिख निवासी भाड़ों तहसील सुनाम जिला संगरूर (पंजाब) हाल ग्राम शीशा तहसील कोलायत पोस्ट ऑफिस अक्कासर बीकानेर।
2. जिलेसिंह पुत्र प्रकाश जाति जाट निवासी चुली खुर्द तहसील मण्डी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा) हाल ग्राम शीशा तहसील कोलायत पोस्ट ऑफिस अक्कासर बीकानेर।

प्रार्थना पत्र बेदखली कृषि भूमि ग्राम शीशा खेत खसरा संख्या 78 रकबा 2.21 हेक्टयर भूमि बावत।

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी भोमाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रोही शीशा खसरा संख्या 78 तादादी 2.21 हेक्टयर भूमि पुश्तेनी खातेदार भूमि है। जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें उसकी ढाणी, झोपडा आदि स्थित चला आ रहा हैं तथा खेती के समय वह अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1– गुरचरणसिंह एवं नरंगसिंह व अप्रार्थीगण 2– जिलेसिंह द्वारा अवैध रूप से कब्जा काश्त कर लिया गया है। चुंकि प्रार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग का है व अवैध कब्जाधारी ओबीसी संवर्ग के है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रकरण प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत दर्ज रजिस्ट्रर्ड किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के जबाव नोटिस शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थी की भूमि अप्रार्थीगण के चिपती हुई स्थित हैं। अप्रार्थीगण की भूमि खरीदशुदा खातेदारी भूमि हैं जिसमें टयूबवेल एवं बिजली कनेक्शन हैं। प्रार्थी की भूमि विवादग्रस्त भूमि हैं जिसका सीमाज्ञान आवश्यक है। बाद सीमाज्ञान स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के जबाव के आधार पर सीमाज्ञान के आदेश जारी किये गये। दिनांक 10.02.2025 को संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में विवादित खसरों का सीमांकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 78 तादादी 2.21 हेक्टयर भूमि में से 1.32 हेक्टयर भूमि जो कि खसरा संख्या 162/77 में एक मकान व टयूबवैल बना कर कब्जा की हुई है तथा 0.45 हेक्टयर भूमि जो कि खसरा संख्या 261/154 में एक टयूबवैल एवं एक पक्का कमरा बना कर कब्जा की हुई है व 0.44 हेक्टयर भूमि जो कि खसरा संख्या 205/135 में काश्त के रूप में कब्जा की हुई है। प्रार्थी के खसरा संख्या 78 की कुल तादादी 2.21 हेक्टयर भूमि का मौके पर की कोई कब्जा नहीं है। उक्त खसरा सख्या 78 की सम्पूर्ण भूमि उक्त वर्णित खसरा संख्या (खसरा संख्या 162/77, 261/154 व 205/135) में दबी हुई है।

प्रकरण अनूसूचित जाति संवर्ग की भूमि पर अन्य संवर्ग के व्यक्तियों द्वारा कब्जा काश्त किया गया हैं अतः राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत प्रार्थी की ग्राम रोही शीशा खसरा संख्या 78 तादादी 2.21 हेक्टयर भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा जो अतिक्रमण किया उसको अतिक्रमण मुक्त करवाकर खसरा संख्या 162/77 में तादादी 1.32 हेक्टयर, 261/154 में तादादी 0.45 हेक्टयर व 205/135 में तादादी 0.44 हेक्टयर दबी हुई भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की एक प्रति सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को पालनार्थ प्रेषित की जाये।

निर्णय आज दिनांक 26/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम कंवर RTS)
तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत
दिनांक :– 26 मई 2025

क्रमांक :– सम/25/797-798

प्रतिलिपि –

1. भू अभिलेख निरीक्षक कोलायत को पालनार्थ।
2. पटवारी हल्का भोलासर को पालनार्थ।

तहसीलदार (राजस्व)
कोलायत